

प्रेस नोट दिनांक 10.12.2025

प्रेस नोट दिनांक-10.12.2025

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त दिवांश यादव को किया गया गिरफ्तार-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नेवाडी लोकापुर बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारणी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64(2)(f)/351(2) बीएनएस व 5N/6 पाक्सो एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त दिवांश यादव पुत्र सियाराम यादव नि0 ग्राम अउवार पृथ्वीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नेवाडी लोकापुर बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. दिवांश यादव पुत्र सियाराम यादव नि0 ग्राम अउवार पृथ्वीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्षा।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 10.12.2025

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी की मोटर साइकिल के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 अदद हीरो i smart मोटरसाइकिल किया गया बरामद-

प्रतापगढ़।

दिनांक 29.11.2025 को वादी निवासी हादीगंज, मकन्दूगंज (बाबागंज), थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ रात्रि चौहान पैलेस बेल्हा देवी पुल पर आयोजित शादी समारोह में अपनी मोटरसाइकिल हीरो iSmart (नं० UP70 DB 2035) खड़ी कर अंदर गया था। लगभग 11:30 बजे बाहर आने पर मोटरसाइकिल गेट के पास से गायब पाई गई। काफी तलाश के बाद भी वाहन का पता नहीं चल सका। इस संबंध थाना कोतवाली नगर में मु030स0 0617/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना को०नगर जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ०नि० ०५५५५ कुमार तिवारी व उ०नि० ०५५५५ नित्यानन्दाय मय हमराह है०का० संजीव, का० योगेश, का० हिमांशु पौनिया मय चालक है०का० शशि सिंह के द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारणी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग के दौरान मुख्य विकास की सूचना पर मु030स0 0617/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना को०नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित ०२ अभियुक्तों, १. गोपाल तिवारी पुत्र जयश्याम निवासी बेनीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग ३३ वर्ष, २. सुभांगम तिवारी उर्फ मोनू तिवारी पुत्र रत्नाकर प्रसाद तिवारी निवासी बेनीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब ३१ वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत नहर मुकुन्दपुर से बेनीपुर बाइपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की ०१ अदद हीरो i smart मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसके संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा ३१७(२) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ में चोरी की ०१ मोटरसाइकिल के बारे में बताया गया कि दि० २९/११/२०२५ को हम दोनों ने बेल्हा मन्दिर के पास चौहान पैलेस के सामने रात में समय लगभग २३.२० बजे जनरेटर के बगल खड़ी मोटरसाइकिल को चोरी करके लेकर चले आये थे, जिसे आज हम दोनों लोग बेचने के फिराक में ले जा रहे थे कि आप लोग ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

१. गोपाल तिवारी पुत्र जयश्याम निवासी बेनीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग ३३ वर्ष।
२. सुभांगम तिवारी उर्फ मोनू तिवारी पुत्र रत्नाकर प्रसाद तिवारी निवासी बेनीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब ३१ वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त गोपाल तिवारी पुत्र जयश्याम निवासी बेनीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग ३३ वर्ष का आपराधिक इतिहास-

०१. मु०अ०सं० ८१४/२०१८ धारा ४११,४१३ भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
०२. मु०अ०सं० ३२३/२०२२ धारा ४१, ४११,४२०,४६५, ४६८,४७१ भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
०३. मु०अ०सं० ७१/२०२५ धारा ३१७(२), ३१८(४), ३३६(२) बीएनएस थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0स0 0617/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

चोरी की 01 अदद हीरो i smart मोटरसाइकिल बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी व उ0नि0 नित्यानन्दाय मय हमराह हे0का0 संजीव, का0 योगेश, का0 हिमांशु पौनिया मय चालक हे0का0 शशि सिंह थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 10.12.2025

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मानिकपुर के उ0नि0 उमेश प्रताप सिंह मय हमराह का0 रामदेव गौतम, म0का0 रीतेश राणा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान Old Cri. Case / 1503729/2006 मु0अ0सं0 88/1987 धारा 324/506 भादवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी असरफ उर्फ मुक्कू पुत्र टेनी कुजरा निवासी कटरा न0 पं० थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. असरफ उर्फ मुक्कू पुत्र टेनी कुजरा निवासी कटरा न0 पं० थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 उमेश प्रताप सिंह मय हमराह म0का0 रीतेश राणा व का0 रामदेव गौतम थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 10.12.2025

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 10000/- रुपये का इनामिया अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

इनामिया अन्तर्जनपदीय पर जनपद प्रतापगढ़, जनपद चन्दौली में गौवध निवारण अधि0, पशु कूरता अधि0, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत हैं

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह का0 अजय यादव व का0 आशुतोष तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारपटी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 190/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फतनपुर प्रतापगढ़ से संबंधित 10000/- रुपये का इनामिया अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त किशन विश्वकर्मा पुत्र शिवकुमार विश्वकर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम खालिसपुर मिर्जामुराद थाना मिर्जामुराद कमिश्रेट वाराणसी को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अम्बेडकर चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

इससे पूर्व दिनांक 07.12.2025 को अन्तर्जनपदीय अभियुक्त धर्मचन्द्र राजभर पुत्र शिवराज राजभर निवासी ग्राम खालिसपुर, मिर्जामुराद, थाना मिर्जामुराद, कमिश्रेट वाराणसी (उम्र लगभग 26 वर्ष) को उसके घर के निकट से गिरफ्तार किया गया था।

इनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त किशन विश्वकर्मा पुत्र शिवकुमार विश्वकर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम खालिसपुर मिर्जामुराद थाना मिर्जामुराद कमिश्रेट वाराणसी।

आपराधिक इतिहास-

इनामिया अन्तर्जनपदीय किशन विश्वकर्मा पुत्र शिवकुमार विश्वकर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम खालिसपुर मिर्जामुराद थाना मिर्जामुराद कमिश्रेट वाराणसी का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 105/2023 धारा 3/5ए,5बी,8 गौवध निवारण अधिनियम व 307/307/427 भादवि थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
- मु0अ0सं0 197/2024 धारा 3/5ए,5बी,8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि थाना सैयदरजा थाना चन्दौली ।
- मु0अ0सं0 190/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फतनपुर प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह का0 अजय यादव व का0 आशुतोष तिवारी थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक- 10.12.2025

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 25,000/- रुपये का इनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

इनामिया अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ के थाना महेशगंज में गौवध निवारण अधि0, पशु क्रूरता अधि0, गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार मय हमराह उ0नि0 दिनेश कुमार, है0का0 राजाराम सिंह, का0 सचिन ठेनुआ, का0 परविन्द कुमार, का0 गौरव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारणी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 133/2025 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना बाघराय प्रतापगढ़ से संबंधित 25,000/- रुपये का इनामिया 01 अभियुक्त प्रकाश बिन्द उर्फ ओमप्रकाश पुत्र नर्थई राम निवासी ग्राम पुरा भाईराम थाना सरपतहा जनपद जौनपुर को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत कन्हैया नगर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया ।

इनामिया अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त प्रकाश बिन्द उर्फ ओमप्रकाश पुत्र नर्थई राम निवासी ग्राम पुरा भाईराम थाना सरपतहा जनपद जौनपुर उम्र करीब 55 वर्ष।

इनामिया प्रकाश बिन्द उर्फ ओमप्रकाश पुत्र नर्थई राम निवासी ग्राम पुरा भाईराम थाना सरपतहा जनपद जौनपुर उम्र करीब 55 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 16/25 धारा 3/5क/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 (1) पशु कुरता निवा0 अधि0 थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 133/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष श्रवण कुमार मय हमराह उ0नि0 दिनेश कुमार, है0का0 राजाराम सिंह. का0 सचिन ठेनुआ, का0 परविन्द कुमार, का0 गौरव, थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 10.12.2025

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा चोरी की 01 अदद स्टेब्लाइजर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़।

दिनांक 08.12.2025 को वादी निवासी ग्राम सडिला थाना रानीगंज रात्रि में वादी के खेत से स्टेब्लाइजर चोरी करने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 437/2025 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 महेश कुमार सिंह मय हमराह का0 अरुण कुमार, का0 मुकेश पटेल, का0 राजू गौड़ व का0 योगेन्द्र

सिंह के द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग के दौरान मुख्यिका की सूचना पर मु0अ0सं0 437/2025 धारा 303 (2) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त अमन मौर्या पुत्र अजय मौर्या निवासी ग्राम संडीला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को चोरी के 01 स्टेब्लाइजर के साथ थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत नहर पटरी मार्ग से वहद ग्राम लपकन शेखूपुर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 स्टेब्लाइजर बरामद की गई, जिसके संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं और मेरा दोस्त ने दिनांक 08.12.25 को रात्रि में राजकुमार पाण्डेय पुत्र रामसिंगार निंग्रा0 संडीला थाना रानीगंज के खेत से चोरी किया था जिसे छुपाकर मैंने ही रखा था मेरे दोस्त ने कहा आज लेकर इसी रोड पर मिलना हम दोनों लेकर चलेगे और बाहर बेच कर आपस में पैसे को बाट लेगे बोरी को खोलकर देखा गया। तब तक मौके पर पूर्व सूचना पर वादी मुकदमा श्री राजकुमार पाण्डेय उपस्थित आये जिन्होंने बरामद स्टेब्लाइजर देखकर तस्दीक कर बताया कि साहब यही मेरा स्टेब्लाइजर है, जो चोरी हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अमन मौर्या पुत्र अजय मौर्या निवासी ग्राम संडीला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी-

चोरी की 01 स्टेब्लाइजर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 महेश कुमार सिंह मय हमराह कां0 अरुण कुमार, कां0 मुकेश पटेल, कां0 राजू गौड़ व कां0 योगेन्द्र सिंह थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 10.12.2025,

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

हत्या का प्रयास व एसटी/ एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त रामकिशुन सरोज को थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार -

अभियुक्त को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत मुरैनी बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया, निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 07.12.2025 की शाम वादी व वादी के परिजनों के साथ आरोपीगणों द्वारा हॉकी व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर घायल कर देने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में मु030सं0 231/2025 धारा 191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 131, 352, 351(3) बीएनएस तथा धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V, 3(2)VA एससी/एसटी एक्ट बनाम 08 नामजद एवं 4-5 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सांगीपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह हे का0 कमलाशंकर दुबे व का0 अभिषेक मिश्रा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु030सं0 231/2025 धारा 191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 131, 352, 351(3) बीएनएस व 3(1) द, 3(1)ध, 3(2)V, 3(2)VA SC/ST एक्ट थाना सांगीपुर से संबंधित 01 अभियुक्त रामकिशुन सरोज पुत्र रामदेव सरोज निवासी ग्राम लखनपुरसूर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत मुरैनी बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही पर बन्धवा तालाब के पास झाड़ियों से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रामकिशुन सरोज पुत्र रामदेव सरोज निवासी ग्राम लखनपुरसूर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह हे का0 कमलाशंकर दुबे व का0 अभिषेक मिश्रा थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।